


शिकायत पत्र

- 1- योजना का नाम : जनपद-बहराइच गिनगा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बहराइच।
- 2- ग्राम का नाम : कल्पीपारा, परगना, तहसील व जिला बहराइच।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की जनपद बहराइच में बहराइच गिनगा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बहराइच की अर्जित की जा रही भूमि का आवास अधिनियम की धारा-28 एवं 32 का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 16.08.2003 व 19.04.2008 को हुआ। जिसकी धारा-7/17 दिनांक 15.01.2010 को प्रकाशित हुआ। अर्जित की जा रही भूमि का अग्निनिर्णय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दिनांक 09.09.2015 को अग्निनिर्णय घोषित किया गया। अग्निनिर्णय दिनांक 09.09.2015 के अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का कब्जा आज दिनांक 11.01.2016 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को जरिए सहायक अभियन्ता, निर्माण इकाई-गोण्डा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोण्डा को हस्तान्तरित किया जाता है। जिसका विवरण निम्न है :-

ग्राम-कल्पीपारा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	अन्य विवरण
	490	0.113	
	491	0.206	
	492	0.024	
	493	0.024	
	501	0.644	
	502	0.643	
	503	0.179	
	504	0.086	
	505	0.086	
	506	0.130	
	507	0.129	
	508	0.087	
	509	0.558	
	510	0.549	
	511	0.102	
	512	0.059	
	514	0.634	
	515	0.409	
	516	0.727	



517	0.662
518	0.046
519	0.788
520	0.398
522	0.129
523	0.088
524	0.029
525	1.934
527	0.091
528	1.722
537	0.458
538	1.036
541	0.006
543	0.230
544	0.076
545	0.333
546	0.333
547	0.251
548	0.302
554	0.705
555	0.023
556	0.021
557	0.006
558	0.859
559	0.139
563	0.527
565	0.523
566ka	0.006
567	0.027
568	0.037
576	1.775
577	0.075

Releasemur

578	3.005
580	0.310
581	0.404
योग	22.743 हे०

नोट :-

- 1- उपरोक्त भूमि के काश्तकार को बाग-बहार एवं फसल को पकने पर उगा लेने की अनुमति दी जाती है।
- 2- उपरोक्त खसरा नम्बर की खुली भूमि का कब्जा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (अर्जन निकाय) को आज दिनांक 11.01.2016 को हस्तान्तरित किया जाता है। घोषित अभिनिर्णय दिनांक 09.09.2015 में मौजूद परिसम्पत्तियों का कब्जा दिया जा रहा है ताकि उपरोक्त कब्जा पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बरों में से कोई वर्तमान में (कब्जा देने की तिथि) गा० न्यायालय में स्थगन आदेश से प्रभावित है, तो उस भूमि का कब्जा दिया गया मान्य नहीं होगा।
- 3- नहर सड़क एवं निर्माण की भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
- 4- उपरोक्त खसरा नम्बरों में कब्रें, मन्दिर व अन्य किसी धार्मिक स्थल तथा सीलिंग आदि की भूमि को छोड़कर कब्जा माना जाये।
- 5- उक्त आराजी में किसी न्यायालय अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अधिग्रहण से मुक्त किये जाने पर कब्जा हस्तान्तरण शून्य माना जायेगा।

(कौशल किशोर श्रीवास्तव),

अमीन,

कार्या० अपर जिलाधिकारी (मू०अ०),

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

उपरोक्त परिसम्पत्तियों एवं खुली भूमि का कब्जा आज दिनांक 11.01.2016 को प्राप्त किया।

(राजेन्द्र कुमार शर्मा)

सहायक अभियन्ता,

निर्माण इकाई-गोण्डा

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

गोण्डा।

(अरविन्द कुमार)

अधिशाली अभियन्ता,

निर्माण इकाई-गोण्डा

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

गोण्डा।

प्रतिहस्ताक्षरित

(आर० पी० सिंह)

अपर जिलाधिकारी (मू०अ०),

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।